Sl. No.	Date of order of proceeding	order with signature of the court	Office Action Taken with Date
1	2	3	4

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, जमुई
जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0–09/2016
महादेव यादव पे0–स्व0 शोभी यादव – आवेदक
साकिन–जगडीह, थाना–चन्द्रमंडी, अंचल–चकाई, जिला–जमुई।

बनाम

1. देवी महतो, पे0–स्व0 भुवनेश्वर महतो – विपक्षी प्रथम पक्ष
   तालो महतो, पे0–स्व0 भुवनेश्वर महतो
2. सुरेन महतो, पे0–स्व0 वकील महतो – विपक्षी द्वितीय पक्ष
   विनोद महतो, स्व0 वकील महतो
3. महेश महतो, पे0–स्व0 बिनो महतो – विपक्षी तृतीय पक्ष
4. जदु महतो, पे0–स्व0 कुम्हार महतो – विपक्षी चतुर्थ पक्ष
   लालजीत महतो, पे0–स्व0 कुम्हार महतो,
   सभी साकिन–जगडीह, थाना–चन्द्रमंडी, अंचल–चकाई।

आदेश

महादेव यादव पे0–स्व0 शोभी यादव के द्वारा भुनेश्वर महतो पे0–कुजल महतो, विशुन महतो पे0–शौखी महतो व विरो महतो पे0–अमृत महतो के नाम चल रहे जमाबन्दी सं0–121/57 के विरूद्ध लाया गया है। आवेदक के अनुसार चकाई अंचल अन्तर्गत मौजा–सिल्फरी टोला–जागाडीह, खाता सं0–14, खेसरा सं0–861, रकवा–98 डी0 भूमि खतियान में गैरमजरूआ "आहर" के रूप में दर्ज है। विपक्षीगण ने हल्का कर्मचारी को मेल में लाकर अन्य गैरमजरूआ खाता सं0–40 के खेसरा सं0–863, रकवा–23 डी0 मिलाकर कुल 1.23 एकड़ की जमाबन्दी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के अपने पक्ष में खुलवा लिया है।

खेसरा सं0–861 का किस्म आहर है, जिसका सार्वजनिक प्रयोग पशुओं तथा खेती के लिए किया जाता है। खेसरा सं0–861 के बावत जमाबन्दी रद्दीकरण का यह वाद लाया गया है।

वाद में निहित भूमि का विवरण निम्वत् है :–

अंचल का नाम	मौजा	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)	जमाबंदी सं0
1	2	3	4		5
चकाई	सिल्फरी टोला, जागाडीह	14	861	0.98 ए0	121/57
कुल				0.98 ए0	

आवेदक का कहना है कि खेसरा सं0–861 का किस्म आहर है। वर्षो से वे लोग कृषि तथा पशु के लिये इस आहर का प्रयोग ग्रामवासी करते आ रहे है। मगर वर्ष 2011 में राजस्व कर्मचारी ने बिना किसी सक्षम पदाधिकारी के आदेश के पंजी–2 में विपक्षीगण के नाम से जमाबन्दी सं0–121/57 कुल रकवा–1.23 एकड़ के

A Home Jud

बावत कायम कर दिए, जिसमें खाता सं0–14 का खेसरा सं0–861 से 98 डी0 आहर गैरमजरूआ तथा खाता सं0–40 को खेसरा सं0–863 का 23 डी0 रकवा, किस्म गैरमजरूआ भूमि सन्निहित है।

आवेदक का कहना है कि वर्ष 2011 में राजस्व कर्मचारी ने मृत व्यक्ति कुंजल महतो, अमृत महतो, शोखी महतो तथा मना महतो के नाम फर्जी तरीके से 1.23 एकड़ गैरमजरूआ भूमि का जमाबन्दी कायम कर दिया है।

आवेदक का कथन है कि आहर को खेती के लिये बन्दोवस्ती नहीं हो सकती है। अंचल अधिकारी, चकाई ने उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सम्बोधित करते हुए पत्र सं0–852 दिनांक–29.12.2014 से अपना प्रतिवेदन समर्पित किया है। प्रतिवेदन में अंचल अधिकारी, चकाई द्वारा स्थल जॉच में प्रश्नगत खेसरा 861 में पानी तथा आहर स्वरूप पाया गया है। यह भी प्रतिवेदित किया है कि राजस्व कर्मचारी ने बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के 1.21 एकड़ की जमाबन्दी खोल दिया है। जिसे रद्द किया जाना चाहिए।

आवेदक के कथनो के विरूद्ध विपक्षी का कहना है कि खेसरा सं0–861 का स्वरूप बदल चुका था, खेती योग्य हो गया था। अतएव खेसरा सं0–861 तथा खाता सं0–40 का खेसरा सं0–863 किस्म गैरमजरूआ पूर्व के जमींदार गिद्धौर वार्ड स्टेट के जेनरल मैनेजर के द्वारा 1341 फसली में हुकुमनामा से पूर्वज कुंजल महतो, शौखी महतो, अमृत महतो वगैरह के नाम बन्दोवस्त किये थे। बन्दोवस्ती के पश्चात् वे जमींदार को तत्पश्चात बिहार सरकार को लगातार लगान देते आ रहे है और प्रश्नगत दोनो खेसरा उनके दखल कब्जे में है। वाद में बन्दोवस्तधारी के पुत्रों के नाम जमाबन्दी में दर्ज हुआ। समयोपरान्त खेसरा सं0–861 एवं 863 को मिलाकर पटवन हेतु तालाब बनाया गया ।

विपक्षीगण का कहना है कि लगभग 70–80 वर्षो से उनकी जमाबन्दी चल रही है तथा पुरानी जमाबन्दी में छेड़–छाड़ करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है।

विपक्षी के द्वारा अपने दावा के पक्ष में निम्नलिखित कागजात/दस्तावेज न्यायालय में दाखिल किये गये है।

2. जेनरल मैनेजर, पी0एन0 सरकार, गिद्धौर/Court of Ward दिनांक–22.05.1944 को निर्गत रसीद सं0–934।

3. जेनरल मैनेजर पी0एन0 सरकार द्वारा दिनांक–05.10.1942 को निर्गत रसीद सं0–9408।

4. बिहार सरकार द्वारा निर्गत लगान रसीद सं0–00630210 वर्ष 2015

5. लगान रसीद सं0–196551 दिनांक–20.09.2011।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। दाखिल कागजातों का अवलोकन किया गया।

विपक्षीगण के द्वारा यह दावा तो किया गया है कि वर्ष 1341 फसली या 1948 में उन्हें जेनरल मैनेजर Court of Ward से बन्दोवस्त है। मगर उनके द्वारा दाखिल दोनो रसीद वर्ष 1948 के पूर्व के है। एक रसीद 9341 का निर्गत तिथि 22.05.44 है वही दूसरी रसीद 9408 दिनांक–05.10.1942 को निर्गत है। बन्दोवस्ती वर्ष अगर

A Home Jud

1341 फसली है तो अंग्रेजी कैलेण्डर से यह 1937 होना चाहिए। मगर हुकुमनामा ने वर्ष 1948 दर्ज है। जो हुकुमनामा को संदिग्ध बताती है।

द्वितीय लगान रसीद 05.10.1942 एवं 22.05.44 को Court of Ward, Gidhour estate के जेनलर मैनेजर द्वारा निर्गत है। रसीद पर पी0एन0 सरकार की मुहर दर्ज है। मगर राजस्व अभिलेख से स्पष्ट होता है कि राजस्व परिषद के पत्रांक–1074 आर0 दिनांक–23.02.1945 से पी0एन0 सरकार की नियुक्ति वर्ष मार्च 1945 को की गई है जो रसीद को भी संदिग्ध बनाती है।

सादा हुकुमनामा के निर्गत तिथि 1341 फसली की सही गणना के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 1934 जोड़ होती है। इस समय गिद्धौर स्टेट Court of Ward में नहीं थी। इस समय राजा चन्द्रचूड़ सिंह की जमींदारी थी। ऐसी परिस्थिति में Court of Ward के द्वारा वर्ष 1341 फसली अंग्रेजी कैलेण्डर के अनुसार वर्ष 1934 में हुकुमनामा निर्गत होने के दावा ही संदिग्ध प्रतीत होता है।

विपक्षीगण के दावा हुकुमनामा वर्ष 1948 को सही माना जाए तो दाखिल लगान रसीद हुकुमनामा के पूर्व का निर्गत पाया जाता है।

Court of Ward act 1879 की धारा 39 का अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि महाप्रबंधक को Rent receipt Court of Ward के Saction से लीज ग्रहण करने तथा नवीकरण करने का अधिकार मात्र था। बन्दोवस्ती करने का अधिकार कभी जेनरल मैनेजर को नहीं रहा है। Court of Ward जमींदार की सम्पत्ति की कस्टोडियन रही है और जेनरल मेनेजर देखभाल करने वाले तथा लगान प्राप्त करने वाले पदाधिकारी ऐसी परिस्थिति में जेनरल मैनेजर द्वारा हुकुमनामा संदिग्ध प्रतीत होती है।

विपक्षीगण द्वारा बिहार सरकार से निर्गत प्रथम रसीद वर्ष 2011 का समर्पित किया गया है, जो इस बात को सम्पुष्ट करता है कि प्रश्नगत खेसरा 861 के बावत जमींदारी उन्मूलन के 60 वर्षो तक भी कब्जा नहीं रहा है।

विपक्षी की जमाबन्दी जमान्दारी उन्मूलन के पूर्व से चल रही होती तो निश्चित ही वर्ष 1955–56 से 2010 दस तक की लग्गित पंजी–2 पर रहती । मगर पंजी–2 में पहली वार वर्ष 2011 में बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के जमाबन्दी सं0 दर्ज कर दिया गया है।

उक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि विपक्षी के नाम चल रही जमाबन्दी सं0–121/57 वर्ष 2011 में बिना किसी आधार, बिना किसी आदेश के राजस्व कर्मचारी द्वारा पंजी–2 में दर्ज कर दिया गया है।

विपक्षी द्वारा दावा की गई जमाबन्दी का आधार ''हुकुमनामा'' प्रथम द्रष्टया ही फर्जी/संदिग्ध प्रतीत होती है। फर्जी/संदिग्ध कागजात जमाबन्दी सृजन का आधार नहीं हो सकता है। ऐसी फर्जी ''हुकुमनामा'' को किसी न्यायालय/सक्षम प्राधिकार से रद्द कराने की भी आवश्यकता नहीं है।

अतएव ऐसी जमाबन्दी को Long term Jamabandi की परिभाषा में नहीं रख सकते। इसे फर्जी जमाबन्दी के दायरा में रखा जा सकता है। तद्नुसार आवेदक के जमाबन्दी रद्दीकरण आवेदन को स्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, चकाई को निदेश दिया जाता है कि सम्बंधित जमाबन्दी 121/57 से खाता सं0–14,

A Home Jud

खेसरा सं0–861, रकवा–98 डी को विलोपित करें।

आदेश की प्रति विपक्षी, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई एवं अंचल अधिकारी, चकाई को आवश्यक कार्यार्थ भेजें। साथ ही आदेश की प्रति जिला के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु DIO, NIC, Jamui को भी भेजें।

लेखापित एवं संशोधित

7/6/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

7/6/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।

समाहरणालय, जमुई
(राजस्व शाखा)

ज्ञापांक– 628 /रा0, दिनांक– 17.06.2018

प्रतिलिपि– विपक्षीगण/अंचल अधिकारी, चकाई/उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ भेजे।

प्रतिलिपि–जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0, जमुई को आदेश की प्रति जिला बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

7/6/18

अपर समाहर्त्ता,
जमुई।